


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
:: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक 4.1.19
संख्या-21/पि.व.रा.आ.-01/2012,सा.प्र.143 पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम 1993 की धारा-3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा-9 में यथा विनिर्दिष्ट कृत्यों के निष्पादन हेतु सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति, पटना उच्च न्यायालय, पटना श्री संजय कुमार को अगले तीन वर्षों के लिए राज्य स्तर पर गठित पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है ।

2. यह आदेश पदभार-ग्रहण की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


4-1-19
(हिमांशु कुमार राय)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-21/पि.व.रा.आ.-01/2012,सा.प्र.143/पटना-15, दिनांक-4.1.19


प्रतिलिपि:-वित्त विभाग ई-गजट शाखा को सी.डी. सहित सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाय।


4-1-19

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-21/पि.व.रा.आ.-01/2012,सा.प्र.143/पटना-15, दिनांक-4.1.19


प्रतिलिपि:- भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली/राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भीखाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली-06/सभी विभाग/सभी विधागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सचिव, लोकायुक्त कार्यालय/श्री संजय कुमार, सेवानिवृत्त, न्यायमूर्ति, पटना उच्च न्यायालय, पटना, अध्यक्ष, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना, वर्तमान पता-आवास संख्या-14, सर्कुलर रोड, संजय गाँधी जैविक उद्यान, गेट संख्या-2 के सामने को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


4-1-19

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-21/पि.व.रा.आ.-01/2012,सा.प्र.143/पटना-15, दिनांक-4.1.19


प्रतिलिपि:-राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/ सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/महादलित आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, बिहार, पटना/अवर सचिव, उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


4-1-19

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक ज्ञापांक:-21/पि.व.रा.आ.-01/2012,सा.प्र.143/पटना-15, दिनांक-4.1.19

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, राजभवन, पटना/आई.टी.मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


4-1-19

सरकार के संयुक्त सचिव।